


उनवान- श्री रामा पुत्र भवाना रावत मसूदा बनाम राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक, ब्यावर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.03.2015	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मदन लाल - सदस्य</b></p> <p>अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री आर के अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री गौतम चन्द टांक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 2134/2014 जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">                       (मदन लाल) 19-3-2015                      सदस्य                 </p>	